यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया **गया** है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत के माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 11.12.2018 से 14.12.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत अप्रैल 2012 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रुप में अस्थित्व में आया। इसके पश्चात् इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा– अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**
विद्यालय द्वारा कक्षा–6 से कक्षा–12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र विद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्रों तक सीमित है।
(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	131.10	120.92	–	–	–	10.18	–	–
2013–14	–	–	132.87	132.67	–	–	–	0.20	–	–
2014–15	–	–	129.51	129.39	–	–	–	0.12	–	–
2015–16	–	–	155.18	154.62	4.79	2.48	–	0.56	–	2.31
2016–17	–	–	174.91	172.18	3.14	1.28	–	2.73	–	1.86
2017–18	–	–	233.77	221.99	–	–	–	11.78	–	–
2018–19 (11/18)	–	–	166.96	155.09	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	शून्य	–	–	–	–	–
2013–14		–	–	–	–	–
2014–15		–	–	–	–	–
2015–16		–	–	–	–	–
2016–17		–	–	–	–	–
2017–18		–	–	–	–	–
2018–19 (11/18)		–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''स'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

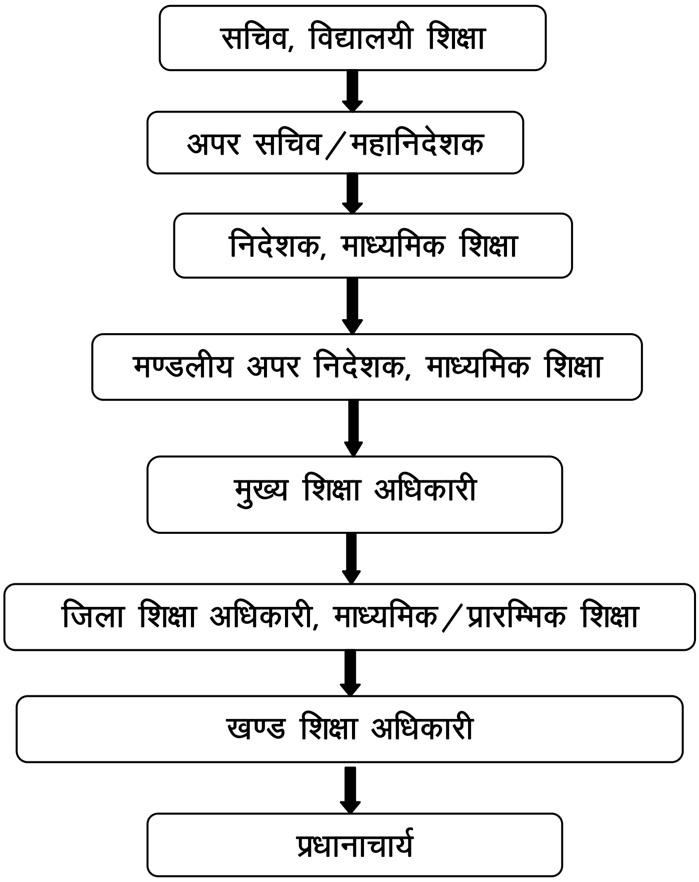

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन **पृथक–पृथक** जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2015, अक्टूबर 2016, मई 2017 एवं अप्रैल 2018 को **विस्तृत** जॉच हेतु चयन अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: आहरित धनराशि रु0 991.80 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 12.11 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0–3 में रोकड बही का रख– रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन–देनों के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण– पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत की लेखापरीक्षा अवधि (04/2012 से 11/2018) की रोकड बही की **विस्तृत** जॉच में पाया गया कि विद्यालय द्वारा जनवरी 2013 से नवम्बर 2018 तक कोषागार से आहरित एवं व्यय धनराशि की प्रविष्टियॉ रोकड बही में नहीं की गई थी, जबकि उक्त अवधि में विद्यालय द्वारा बी0एम0–5 के अनुसार कोषागार से रु0 991.80 लाख **(संलग्नक–1)** की धनराशि आहरित कर व्यय की गई। लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार के बी0एम0–5 का मिलान **विस्तृत** जॉच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों से ही किया गया। कार्यालय में उक्त आहरणों की प्रविष्टियॉ रोकड बही न होने के कारण अंकगणितीय शुद्धता की भी जॉच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में **विस्तृत** जॉच हेतु चयनित माह दिसम्बर 2015 में रु0 10,37,806.00 (वाउचर सं0 ए–22020188 दिनॉक 16.12.2015) एवं अक्टूबर 2016 में रु0 1,72,700.00 (वाउचर सं0 ए–22020290 दिनॉक 29.10.2016) अर्थात कुल रु0 12,10,506.00 के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिसके कारण लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की सत्यापन जॉच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधानाचार्य ने अपने उत्तर में बताया कि कोषागार से सीधे बैंक खातों में धनराशि स्थानान्तरित होने के कारण प्रविष्टि नहीं की गई। वाउचरों के अप्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान में सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

अतः आहरित धनराशि रु0 991.80 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 12.11 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

January 2013	1108831.00	August 2016	2614394.00
February 2013	8559.00	September 2016	65678.00
March 2013	1092876.00	October 2016	3041972.00
April 2013	1091423.00	November 2016	1434636.00
May 2013	993486.00	December 2016	1434636.00
June 2013	1012872.00	January 2017	0.00
July 2013	2291686.00	February 2017	1699137.00
August 2013	1069329.00	March 2017	1840673.00
September 2013	1224644.00	April 2017	1681462.00
October 2013	900522.00	May 2017	3635102.00
November 2013	1083353.00	June 2017	1785330.00
December 2013	1237863.00	July 2017	1770338.00
January 2014	1084332.00	August 2017	1770352.00
February 2014	0.00	September 2017	1872317.00
March 2014	1277069.00	October 2017	2044445.00
April 2014	2284245.00	November 2017	0.00
May 2014	1030956.00	December 2017	*3251887.00*
June 2014	954908.00	January 2018	1596370.00
July 2014	0.00	February 2018	1891989.00
August 2014	1982044.00	March 2018	899773.00
September 2014	1014803.00	April 2018	3198180.00
October 2014	1262668.00	May 2018	1743542.00
November 2014	1023524.00	June 2018	1760614.00
December 2014	1042183.00	July 2018	74171.00
January 2015	1041752.00	August 2018	*3184919.00*
February 2015	1059628.00	September 2018	1791049.00
March 2015	242503.00	October 2018	1874819.00
April 2015	2220937.00	November 2018	1881858.00
May 2015	1081791.00	**Total :-**	**99179942.00**
June 2015	1259461.00		
July 2015	1137706.00		
August 2015	1094894.00		
September 2015	1095794.00		
October 2015	1094694.00		
November 2015	1435657.00		
December 2015	2323602.00		
January 2016	0.00		
February 2016	1394130.00		
March 2016	1570805.00		
April 2016	*2488204.00*		
May 2016	0.00		
June 2016	1402797.00		
July 2016	1323768.00		

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: छात्र निधि के अन्तर्गत रु0 1.44 लाख का अनियमित व्यय।

नियमानुसार छात्रों से छात्र निधि (Øीडा, विज्ञान, कम्प्यूटर, श्रव्य **दृश्य**, निर्धन छात्र, वाचनालय, **गृह** परीक्षा, पत्रिका, रेडØास, स्काउट) के रुप में लिया जाने वाला शुल्क विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्धित गतिविधियों में ही व्यय किया जाना चाहिए। विद्यालयों हेतु निर्देशों के अनुसार छात्र निधि से प्राप्त राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गई है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत के छात्र निधि (Øीडा, विज्ञान, कम्प्यूटर, श्रव्य **दृश्य**, एवं रेडØास) से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विद्यालय को 04/2014 से 11/2018 के मध्य पूर्व अवशेष एवं ब्याज सहित कुल रु0 7,07,580.00 की धनराशि छात्र निधि के रुप में प्राप्त हुई। विद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि में से रु0 6,61,791.00 विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यय किया गया। नियमानुसार छात्रों से छात्र निधि के नाम से लिया जाने वाला शुल्क अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्धित गतिविधियों में ही व्यय किया जाना चाहिए, परन्तु विद्यालय द्वारा इसके विपरीत कुल किए गये व्यय रु0 6,61,791.00 में से रु0 1,43,864.00 **(संलग्नक–1)** कार्यालयीन मदों पर किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। अप्रैल 2014 से नवम्बर 2018 तक Øीडा, विज्ञान, कम्प्यूटर, श्रव्य **दृश्य**, एवं रेडØास छात्र निधियों के आय–व्ययक का विवरण निम्नवत् है:–

छात्र निधि	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त राशि	ब्याज	योग	व्यय राशि	कार्यालय व्यय
Øीडा निधि	32004.00	58706.00	1249.00	91959.00	68045.00	1790.00
विज्ञान निधि	43608.00	45668.00	4389.00	93665.00	77806.00	11095.00
कम्प्यूटर निधि	231420.00	204475.00	23303.00	459198.00	485494.00	120400.00
श्रव्य **दृश्य** निधि	7768.00	7942.00	1192.00	16902.00	11958.00	6774.00
रेडØास	17986.00	23972.00	3898.00	45856.00	18488.00	3805.00
योगः–	**332786.00**	**340763.00**	**34031.00**	**707580.00**	**661791.00**	**143864.00**

इसके अतिरिक्त सितम्बर 2017 के पश्चात् उपरोक्त छात्र निधियों से आहरित एवं व्यय धनराशि रु0 1,11,178.00 **(संलग्नक–2)** की प्रविष्टियॉ रोकड बही में नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधानाचार्य ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित मदों में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण छात्र निधि की मदों से व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस प्रयोजन हेतु राशि छात्रों से वसूल की गई थी उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए था।

अतः छात्र निधि के अन्तर्गत रु0 1.44 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

कार्यालयीन मदों में किए गये व्यय का विवरण

क्र०सं०	बिल संख्या	दिनाँक	धनराशि	क्र०सं०	बिल संख्या	दिनाँक	धनराशि
क्रीडा निधि							
1.	1885	01.09.18	1430.00				
2.	36/236	29.09.18	360.00				
योगः–			**1790.00**				
कम्प्यूटर निधि							
1.	4102	04.09.18	1084.35	रेडक्रास निधि			
2.	4657	20.11.18	1054.35	1.	384	29.02.16	680.00
3.	-	24.09.18	1191.00	2.	223	10.05.15	3125.00
4.	-	16.10.17	1361.00			योगः–	**3805.00**
5.	250	13.10.17	1300.00	श्रव्य दृश्य			
6.	-	16.08.17	1526.00	1.	81	03.05.18	955.00
7.	*	17.06.17	1441.00	2.	875	02.04.18	819.00
8.	241	20.11.16	6700.00	3.	112	02.04.18	270.00
9.	15	16.12.16	8500.00	4.	38	15.06.15	2880.00
10.	-	17.04.17	2547.00	5.	382	20.02.16	1700.00
11.	74	10.01.17	1805.00	6.	108	31.01.14	150.00
12.	-	12.07.16	4800.00			योगः–	**6774.00**
13.	405	14.02.17	1231.80				
14.	-	07.02.17	1727.00				
15.	323	15.09.16	1540.00				
16.	322	15.09.16	13950.00				
17.	28	09.09.16	5922.00				
18.	232	31.08.16	4300.00				
19.	6035	15.08.16	6357.00				
20.	6876	23.06.16	1152.60				
21.	570	03.06.16	2060.00				
22.	463	20.04.16	2475.00				
23.	-	25.04.16	1419.00				
24.	229	14.03.16	14750.00				
25.	5983	10.03.16	977.80				
26.	4143	25.01.16	961.00				
27.	4141	25.01.16	560.00				
28.	-	28.09.15	897.00				
29.	997	01.09.15	26810.00				
योगः–			**120400.00**				
विज्ञान निधि							
1.	66	18.11.17	4300.00				
2.	145	12.12.17	2225.00				
3.	245	14.08.15	4570.00				
योगः–			**11095.00**				

संलग्नक–2

क्रीडा निधि	
दिनाँक	धनराशि
15.09.2017	4950
16.02.2018	5000
07.05.2018	2544
25.06.2018	1400
26.09.2018	5026
01.10.2018	2900
06.10.2018	1790
Total :	**23610**
विज्ञान निधि	
31.01.2017	12285
20.12.2017	1325
20.12.2017	6525
Total :	**20135**
श्रव्य दृश्य	
27.10.2017	342
17.02.2018	2336
Total :	2678
स्काउट	
15.05.2018	2300
07.08.2018	4444
20.08.2018	1680
26.09.2018	3350
Total:	**11774**

कम्प्यूटर निधि	
18.09.2017	1250
04.10.2017	7100
16.10.2017	1300
17.10.2017	1361
27.02.2018	1450
03.04.2018	7729
07.05.2018	2500
18.05.2018	754
07.07.2018	2750
09.07.2018	4300
10.07.2018	4550
17.07.2018	1194
25.07.2018	4885
24.08.2018	4600
05.09.2018	1750
25.09.2018	1191
26.11.2018	1179
27.11.2018	3138
Total :	**52981**
Grand Total :	**111178**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग–।। 'अ'** प्रस्तर संख्या	**भाग–।। 'ब'** प्रस्तर संख्या	**स्टैन**
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

Ø0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री **कृष्ण** कान्त भारद्वाज	प्रधानाचार्य	20.03.2012 से 22.01.2014
2.	श्री उमेद सिंह बिष्ट		23.01.2014 से 15.09.2015
3.	श्री चन्द्र प्रकाश गहतोडी		16.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र